1.

न्यायालय सहायक कले॰ (फास्ट ट्रेक) निवाई, जिला टोंक।
डॉ॰ नीलम मीणा द्वारा अध्यासित।

दावा संख्या - 46/2021
निर्णय दिनांक - 12/3/22

उनवान

1. कालूराम पुत्र ग्यारसा पि॰मु॰ नानगा जाति बैरवा निवासी सिलाय तह॰ निवाई, जिला टोंक (राज॰) - वादी

बनाम

1. मथुरा पुत्री नानगा जाति बैरवा निवासी सिलाय तह॰ निवाई, जिला टोंक (राज॰)
2/1 सुगना पुत्री माता संतोष सीताराम
2/2 हनुमान पुत्र माता संतोष सीताराम
2/3 रामजीलाल पुत्र माता संतोष सीताराम
2/4 मामा पुत्री माता संतोष सीताराम
} जाति बैरवा निवासी लुहारा, तह॰ निवाई।
3. बाबूलाल पुत्र ग्यारसा नानगा जाति बैरवा निवासी सिलाय तह॰ निवाई।
4. तहसीलदार, निवाई।
5. उपपंजीयक, निवाई। - प्रतिवादीगण

- दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित - 1. श्री कनवारी लाल यादव वकील वादी।
2. श्री जितेन्द्र कुमार बाकोलिया वकील प्रतिवादीगण।

सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) निवाई

निर्णय

- वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है -

आराजी खसरा नं. 4488, 4491, 4496, 4499, 5125, 4464/3, 4479, 4483, 4484, 4485, 5121, 5124, 5172, 5173, 5176, 290, 320 ग्राम झिलाय तहसील निवाई में स्थित है। जिस पर वादी नानगा की खातेदारी में दर्ज भूमि के 1/4 हिस्से पर एवं ग्यारसा पुत्र जोधा की खातेदारी में दर्ज भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज मालिक है।

वादी ग्यारसा का जायन्दा पुत्र है, एवं नानगा पुत्र जोधा के कोई औलाद नही होने के कारण नानगा की सेवा वादी ने की जिस पर नानगा की विरासत का नामान्तरकरण वादीगण के हक में खोल दिया गया परन्तु वादी का नाम कालूराम पुत्र ग्यारसा अंकित कर दिया गया जबकि वादी का प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के साथ कालूराम पुत्र ग्यारसा पि.मु. नानगा अंकित होना चाहिए एवं साथ ही जब ग्यारसा की मृत्यु हुई तब प्रतिवादी संख्या 4 के साथ भी वादी का नाम कालूराम पुत्र ग्यारसा अंकित होना चाहिए था। परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम मात्र एक बार कालूराम पुत्र ग्यारसा अंकित कर रखा है। जिससे अनावश्यक परेशानियाँ पैदा हो रही है। अतः वादी का नाम प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 4 के साथ अंकित करते हुए अलग-अलग हिस्सा अंकित किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में दुरुस्ती कर रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे. साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) निवाई उक्त वाद प्रस्तुत होने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण

को तलब किया गया।

- वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित होकर हस्ताक्षर युक्त राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात व राजीनामें का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न नामान्तकरण सं. 550 का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादी कालुराम को नानगा का दत्तक पुत्र मानते हुए, नानगा के शेष वारिसान यथा बेवा, पुत्रियों के साथ वादी कालु का नाम भी नानगा के वारिस के रूप में दर्ज किया गया है, परन्तु उसे पि.मु. नानगा अंकित करने के बजाय कालु पुत्र ग्यारसा अंकित कर दिया गया था। जिसकी पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे से ताईद होती है। अत: राजीनामा स्वीकार किया जा कर खाता सं. 75, 76, 77 ग्राम झिलाई एवं ग्राम बड़ोदिया के खाता सं. 18 व 19 में दर्ज कालुराम पुत्र ग्यारसा के स्थान पर कालुराम पि.मु. नानगा अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-3-2022 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

(signature)
12/3/22
डॉ. नीलम मीणा
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डॉ. नीलम मीणा, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्याः– 46/2021
निर्णय दिनांकः–12.03.2022

उनवान

कालूराम बनाम मथुरा वगै0

दावा बाबत उद्घोषणा एवं खातेदारी दुरूस्थी इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू डॉ. नीलम मीणा ब हाजरी श्री बनवारी लाल यादव वकील वादी व श्री जितेन्द्र कुमार बाकोलिया वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मुताबिक राजीनामा नामान्तकरण संख्या 550 से वादी कालूराम को नानगा का दत्तक पुत्र मानते हुए नानगा के शेष वारिसान यथा बेवा, पुत्रियो के साथ वादी कालू का नाम भी नानगा के वारिस के रूप में दर्ज किया गया है परन्तु उसे पि.मु. नानगा अंकित करने के बजाय कालू पुत्र ग्यारसा अंकित कर दिया है अत मुताबिक राजीनामा खाता संख्या 75, 76, 77 ग्राम झिलाई एवं ग्राम बडोदिया के खाता संख्या 18 व 19 में दर्ज कालूराम पुत्र ग्यारसा के स्थान पर कालूराम पि.मु. अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 03 सन् 2022 को जारी की गई।

12/3/22

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner